कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 92/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 08.03.2026

डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन तथा *अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शुभम तोदी* के मार्गदर्शन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज *दिनांक-08.03.2026* को *थाना कोतवाली पुलिस व स्वॉट टीम* द्वारा *गैंगेस्टर, हिस्ट्रीशीटर व भूमाफिया अभियुक्त कृष्णचन्द्र राय द्वारा फर्जी नक्शा-नजरी व कूटरचित अभिलेख तैयार कर जमीन बेचने के नाम पर कुल ₹2,87,00,000 (लगभग 2 करोड़ 87 लाख रुपये) रुपये की ठगी का किया गया खुलासा।*

प्रेस नोट, दिनांक – 08.03.2026
थाना – कोतवाली, जनपद – आजमगढ़

गैंगेस्टर, हिस्ट्रीशीटर व भूमाफिया द्वारा फर्जी नक्शानजरी व - बेचने के नाम पर कूटरचित अभिलेख तैयार कर जमीनकुल ₹2,87,00,000 (लगभग 2 करोड़ 87 लाख रुपये) रुपये की ठगी का किया गया खुलासा

संगठित गिरोह बनाकर लोगों को झांसे में लेकर ठगी करने वाला 01 गैंगेस्टर, हिस्ट्रीशीटर, भूमाफिया शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त द्वारा अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर फर्जी नक्शा-नजरी व कूटरचित अभिलेख तैयार कर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के कुल 13 मामलों में अब तक कुल ₹2,87,00,000 (लगभग 2 करोड़ 87 लाख रुपये) की ठगी किया जा चुका है।

गैंगेस्टर, हिस्ट्रीशीटर व भूमाफिया कृष्णचन्द्र राय के पत्नी व पुत्र पर भी थाना जीयनपुर,आजमगढ़ में पंजीकृत है गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा ।

घटना का विवरण:-

दिनांक **08.03.2026** को वादी **रूद्रान्श राय पुत्र विनोद राय निवासी ग्राम मधुबन, पोस्ट कन्धरापुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़** द्वारा थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनके पूर्व परिचित **कृष्णचन्द्र राय पुत्र सुखसागर राय निवासी ग्राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़**, जो जमीन खरीद-फरोख्त व दलाली का कार्य करता है, द्वारा **मई 2023 में कोडर अजमतपुर स्थित भूमि को बेचने का प्रस्ताव** दिया गया। कृष्णचन्द्र राय द्वारा बार-बार संपर्क कर वादी को जमीन खरीदने के लिए प्रेरित किया गया तथा कथित जमीन मालिकों से मुलाकात कराकर यह विश्वास दिलाया गया कि जमीन का एग्रीमेंट कर दिया जायेगा तथा भुगतान किस्तों में लिया जायेगा। इसके पश्चात अभियुक्त कृष्णचन्द्र राय, उसकी पत्नी **रेनू राय**, पुत्र **संगम राय** तथा गैंग के अन्य सदस्यों द्वारा वादी को **कोडर अजमतपुर स्थित लगभग 10 बिस्वा भूमि** दिखाई गयी, जिसकी चारों तरफ बाउंड्रीवाल बनी हुई थी। अभियुक्तों द्वारा उक्त भूमि को विवाद-मुक्त बताते हुए **10 लाख रुपये प्रति बिस्वा** के हिसाब से सौदा तय किया गया तथा पैसों की तत्काल आवश्यकता बताकर वादी से **कुल 33,30,000 रुपये (तैंतीस लाख तीस हजार रुपये)** विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से अग्रिम धनराशि प्राप्त कर ली गयी। दिनांक **04.09.2023** को कुछ व्यक्तियों द्वारा आंशिक रूप से जमीन का एग्रीमेंट किया गया, किन्तु शेष कथित जमीन मालिकों द्वारा न तो एग्रीमेंट किया गया और न ही जमीन पर कब्जा दिया गया। बार-बार टालमटोल करने पर वादी को संदेह हुआ तथा स्थानीय स्तर पर जानकारी करने पर पता चला कि दिखाई गयी अधिकांश भूमि **बंजर भूमि है तथा कई गाटा संख्या उस स्थान से संबंधित ही नहीं हैं।** अभियुक्तों द्वारा वादी को विश्वास में लेने के लिए **राजस्व अभिलेखों का कूटरचित नक्शा-नजरी तैयार कर उस पर राजस्व निरीक्षक व तहसीलदार की फर्जी मुहर व हस्ताक्षर अंकित कर प्रस्तुत किया गया**, तथा उसी के आधार पर एग्रीमेंट तैयार कराया गया। जब वादी द्वारा दिनांक **21.02.2026** को अपना पैसा वापस मांगा गया तो अभियुक्तों द्वारा गाली-गलौज करते हुए **जान से मारने तथा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी** दी गयी। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर **मु0अ0सं0 92/2026 धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 352, 351(3), 111(7) बीएनएस** बनाम— 01. **कृष्णचन्द्र राय पुत्र सुखसागर राय** 02. **रेनू राय पत्नी कृष्णचन्द्र राय** 03. **संगम राय पुत्र कृष्णचन्द्र राय** निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ व अन्य सहयोगियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

➡*गैंग संबंधी विवरण –*

अभियुक्त **कृष्णचन्द्र राय** उपरोक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है, जो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर संगठित रूप से धोखाधड़ी, कूटरचना एवं जमीन से संबंधित अवैध गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। उक्त आपराधिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त **कृष्णचन्द्र राय** व उसके सहयोगियों के विरुद्ध **गैंग चार्ट अनुमोदित करते हुए गैंग** पंजीकृत किया गया है।

उक्त गैंग का **गैंग लीडर – कृष्णचन्द्र राय पुत्र सुखसागर राय** निवासी ग्राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ है। इस गैंग के अन्य सक्रिय सदस्य निम्नलिखित हैं –

1. **रेनू राय पत्नी कृष्णचन्द्र राय**
2. **संगम राय पुत्र कृष्णचन्द्र राय व अन्य सदस्य**

उक्त गैंग के सदस्य संगठित रूप से लोगों को झांसे में लेकर जमीन खरीद-फरोख्त के नाम पर धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आर्थिक लाभ अर्जित करने जैसे आपराधिक कृत्यों में संलिप्त रहे हैं, जिनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी गयी। इसी क्रम में दिनांक **08.03.2026** को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा थाना बरदह का **गैंगेस्टर, हिस्ट्रीशीटर (HS 15B),**

भूमाफिया अभियुक्त कृष्णचन्द्र राय पुत्र सुखसागर राय निवासी ग्राम मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को **उसके घर अजमतपुर कोडर क्षेत्र से समय लगभग 11:50 बजे** हिरासत में लिया गया।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जमीन खरीद-फरोख्त के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर **कूटरचित नक्शा-नजरी एवं अन्य फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने की बात स्वीकार की गयी।** अभियुक्त ने बताया कि वह अपने परिजनों व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर जमीन का **फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर लोगों से बड़ी धनराशि प्राप्त कर लेते थे तथा बाद में टालमटोल करते हुए पैसा हड़प लेते थे।** पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा प्रकरण में नामित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 92/2026, धारा **319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 352, 351(3), 111(7) बीएनएस**, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त कृष्णचन्द्र राय उपरोक्त पूर्व से ही जालसाजी, कूटरचना व धोखाधड़ी के माध्यम से लोगों को झांसे में लेकर भारी धनराशि की ठगी करने का अभ्यस्त अपराधी है। इसके द्वारा पूर्व में भी कई व्यक्तियों से करोड़ों रुपये की ठगी किये जाने के आरोप हैं, जिसके सम्बन्ध में जनपद के विभिन्न थानों पर इसके विरुद्ध दर्जनों अभियोग पंजीकृत हैं। जिनका विवरण निम्नवत है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त **कृष्णचन्द्र राय** पूर्व से ही जालसाजी, कूटरचना व धोखाधड़ी के माध्यम से लोगों को झांसे में लेकर भारी धनराशि की ठगी करने का अभ्यस्त अपराधी है। इसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर **एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत** हैं। प्रमुख मामलों का विवरण निम्नवत है—

1. मु0अ0सं0 855/2011 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना कप्तानगंज (ठगी ₹7,00,000)
2. मु0अ0सं0 1672/2011 धारा 342/395/397/506 भादवि थाना कोतवाली
3. मु0अ0सं0 158/2018 धारा 406/504/506 भादवि थाना कंधरापुर (ठगी ₹87,50,000)
4. मु0अ0सं0 159/2018 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना कंधरापुर (ठगी ₹1,00,000)
5. मु0अ0सं0 95/2019 धारा 120-B/506 भादवि थाना कंधरापुर
6. मु0अ0सं0 98/2021 धारा 323/419/420/467/468/471/506 भादवि थाना बरदह (ठगी ₹80,000)
7. मु0अ0सं0 353/2022 धारा 406/506 भादवि थाना कोतवाली (ठगी ₹10,000)
8. मु0अ0सं0 191/2023 धारा 406/419/420/427 भादवि थाना सिधारी (ठगी ₹41,02,763)
9. मु0अ0सं0 581/2023 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)द/3(2) SC/ST Act व 25/9 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली
10. मु0अ0सं0 07/2024 धारा 323/325/34/342/427/506 भादवि थाना कंधरापुर
11. मु0अ0सं0 87/2025 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना जीयनपुर (ठगी ₹68,00,000)
12. मु0अ0सं0 148/2025 धारा 406/419/420/506 भादवि थाना कंधरापुर (ठगी ₹48,00,000)
13. मु0अ0सं0 344/2025 धारा 2(b)(1),3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
14. मु0अ0सं0 92/2026 धारा 319(2),318(4),336(3),338,340(2),61(2),352,351(3),111(7) बीएनएस थाना कोतवाली (ठगी ₹33,30,000)

➡ इस प्रकाश अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अब तक कु ***लगभग ₹2,87,00,000 (लगभग 2 करोड़ 87 लाख रुपये)*** की ठगी का पता चला है।

➡ विवेचना के क्रम में अन्य घटनाओं की भी जांच की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. **प्रभारी निरीक्षक – यादवेंद्र पांडे, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।**
2. **निरीक्षक अपराध – रफी आलम, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।**
3. **स्वॉट टीम प्रभारी – उप निरीक्षक संजय सिंह मय हमराह, जनपद आजमगढ़।**
4. **उप निरीक्षक – रविंद्र कुमार यादव, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।**
5. **महिला उप निरीक्षक – शशि सिंह, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।**
6. **हेड कांस्टेबल – धर्मेंद्र चौधरी, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।**
7. **कांस्टेबल – राजन कुमार, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।**

प्रेस नोट, दिनांक – 08.03.2026

थाना – बरदह, जनपद – आजमगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने व अश्लील फोटो/वीडियो वायरल करने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण-

दिनांक **07.03.2026** को एक महिला द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गयी कि विपक्षी द्वारा उसकी **नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया तथा उसकी अश्लील फोटो/वीडियो बनाकर वायरल किया गया।** जब उक्त महिला द्वारा इस सम्बन्ध में अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा महिला व उसकी पुत्री को **जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज तथा जान-माल की धमकी** दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बरदह पर **मु0अ0सं0 73/2026** धारा **64, 352, 351(3) बीएनएस, 5L/6 पॉक्सो एक्ट, 67A आईटी एक्ट व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V एससी/एसटी एक्ट** बनाम **अजय यादव पुत्र रामाशंकर यादव निवासी ग्राम दुबरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़** के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण / घटना का अनावरण-

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना बरदह पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया गया। इसी क्रम में दिनांक **08.03.2026** को **उप निरीक्षक रविन्द्र कुमार भारती मय हमराह** द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **अजय यादव पुत्र रामाशंकर यादव निवासी ग्राम दुबरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़** को **जिवली तिराहा** से समय करीब **12:50 बजे** गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अजय यादव पुत्र रामाशंकर यादव, निवासी – ग्राम दुबरा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त **एक अदद मोबाइल फोन**, जिसमें पीड़िता की फोटो/वीडियो वायरल करने से सम्बन्धित सामग्री पायी गयी।

आपराधिक इतिहास-

1. **मु0अ0सं0 73/2026** धारा 64, 352, 351(3) बीएनएस, 5L/6 पॉक्सो एक्ट, 67A आईटी एक्ट व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V एससी/एसटी एक्ट थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. **उप निरीक्षक – रविन्द्र कुमार भारती**, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
2. **उप निरीक्षक – संजय कुमार**, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट, दिनांक – 08.03.2026

थाना – सिधारी, जनपद – आजमगढ़

साइबर फ्रॉड में कटी ₹10,000 की धनराशि पुलिस की तत्परता से पीड़िता के खाते में करायी गयी वापस

साइबर ठगी के तरीकों से सावधान रहने एवं लोगों को जागरूक रहने की अपील

घटना का विवरण-

आवेदिका **कृतिका पाण्डेय पुत्री हरिशंकर पाण्डेय निवासी न्यू कॉलोनी पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़** द्वारा साइबर शिकायत दर्ज करायी गयी कि पैसे के लेन-देन के दौरान **गलत ट्रांजेक्शन हो जाने के कारण ₹10,000 की धनराशि गलत खाते में चली गयी।** घटना की जानकारी होने पर आवेदिका द्वारा **साइबर शिकायत संख्या – 23111250178580** दर्ज करायी गयी, जो थाना सिधारी पर प्राप्त हुई। शिकायत प्राप्त होने पर थाना सिधारी की साइबर टीम द्वारा **साइबर सेल आजमगढ़ से तकनीकी सहायता प्राप्त कर त्वरित कार्यवाही की गयी**, जिसके परिणामस्वरूप नियमानुसार कार्यवाही करते हुए **₹10,000 की धनराशि पीड़िता के बैंक खाते में वापस करायी गयी।** पीड़िता द्वारा पुलिस की त्वरित कार्यवाही के लिए आभार व्यक्त किया गया।

साइबर ठगी के सामान्य तरीके-

वर्तमान समय में साइबर अपराधी विभिन्न तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से—

- **फर्जी कॉल / बैंक अधिकारी बनकर कॉल** कर OTP या बैंक डिटेल मांगना
- **केवाईसी अपडेट या सिम बंद होने का झांसा** देकर लिंक भेजना
- **लॉटरी, इनाम या नौकरी का लालच** देकर पैसे मांगना
- **सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर पैसे मांगना**
- **फर्जी निवेश योजनाएं (Investment Scam)**
- **ऑनलाइन शॉपिंग या OLX फ्रॉड**
- **QR कोड स्कैन कराकर पैसे निकाल लेना**

साइबर ठगी से बचाव के उपाय-

जनसामान्य को साइबर अपराध से बचने हेतु निम्न सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है—

- किसी भी अज्ञात व्यक्ति को **OTP, ATM PIN, CVV, बैंक डिटेल या पासवर्ड साझा न करें।**
- किसी भी **अनजान लिंक पर क्लिक न करें।**
- बैंक या सरकारी संस्था कभी भी **फोन पर OTP या पासवर्ड नहीं मांगती।**
- सोशल मीडिया पर आने वाले **पैसे मांगने वाले मैसेज की सत्यता अवश्य जांच लें।**
- मोबाइल या कंप्यूटर में **अज्ञात ऐप डाउनलोड करने से बचें।**
- किसी भी संदिग्ध लेन-देन की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

साइबर अपराध होने पर क्या करें-

यदि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी का शिकार हो जाएं तो तुरंत—

☐ **साइबर हेल्पलाइन नंबर – 1930** पर कॉल करें।
☐ **वेबसाइट – www.cybercrime.gov.in** पर शिकायत दर्ज करें।
या अपने **नजदीकी पुलिस स्टेशन / साइबर हेल्प डेस्क** पर संपर्क करें।

समय रहते शिकायत करने से **धनराशि वापस मिलने की संभावना अधिक रहती है।**

पुलिस टीम का विवरण-

1. **उप निरीक्षक – विधनेश वर्मा**, थाना सिधारी, आजमगढ़
2. **उप निरीक्षक – नितीश सिंह**, थाना सिधारी, आजमगढ़
3. **कांस्टेबल – महेश कुमार**, थाना सिधारी, आजमगढ़
4. **कांस्टेबल – पवन गुप्ता**, थाना सिधारी, आजमगढ़
5. **महिला कांस्टेबल – रीना यादव**, थाना सिधारी, आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति,दिनांक : 08.03.2026
थाना रौनापार, जनपद–आजमगढ़

गो-तस्करी से जुड़े गिरोह के विरुद्ध पुलिस की सख्त कार्रवाई, 15 मुकदमों में संलिप्त गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण–

दिनांक **17.03.2025** को वादी मुकदमा **चौकी प्रभारी महुला उ0नि0 विवेक सिंह** थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर उपस्थित होकर गो-तस्करी से सम्बन्धित **फर्द बरामदगी** दाखिल की गयी, जिसमें **16 राशि बैल, 01 राशि गाय (जिन्दा), 07 राशि मृत बैल, 01 अदद ट्रक नं0 UP50AT5527 तथा 01 अदद मोबाइल फोन** बरामद होने का उल्लेख किया गया। उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर थाना रौनापार पर **मु0अ0सं0 94/2025 धारा 3/5क/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम** बनाम ट्रक चालक नाम-पता अज्ञात व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना तत्कालीन **उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय** द्वारा संपादित की गयी। दौरान विवेचना घटनास्थल निरीक्षण, फर्द बरामदगी व अन्य साक्ष्यों के संकलन के आधार पर निम्नलिखित अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये—

1. **रामचेत निषाद** पुत्र स्व0 मोतीलाल निषाद निवासी ग्राम भोर्रा मकबूलपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़
2. **मोहम्मद सलीम** पुत्र शोएब निवासी ग्राम जयराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
3. **सलमान** पुत्र लईक अहमद निवासी ग्राम विसहम थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़
4. **शमीम** पुत्र नजीर उर्फ गुड्डू उर्फ अबुल वैश निवासी ग्राम जयराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना उपरांत आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। उक्त प्रकरण के संबंध में **थानाध्यक्ष रौनापार श्री मंतोष सिंह** द्वारा दिनांक **07.03.2026** को थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 51/2026 धारा 2(b)(17)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम** के अंतर्गत उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक **08.03.2026** को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त—**रामचेत निषाद पुत्र**

स्व0 मोतीलाल निषाद निवासी ग्राम भोर्रा मकबूलपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ को **भीमवर पुलिया** के पास से समय लगभग **09:10 बजे** गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 **51/2026** धारा **2(b)(17)/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट**, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास–

अभियुक्त **रामचेत निषाद** पुत्र स्व0 मोतीलाल निषाद निवासी भोर्रा मकबूलपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध विभिन्न थानों पर कई अभियोग पंजीकृत हैं, जिनमें प्रमुख रूप से **एनडीपीएस एक्ट, चोरी, आबकारी अधिनियम, आयुध अधिनियम, गो-तस्करी, गैंगेस्टर एक्ट एवं अन्य गंभीर धाराओं** से संबंधित कुल **15 मुकदमे** दर्ज हैं।

क्र0सं0	अ0सं0	धारा	CS/FR	थाना	जनपद
1	44/09	8/20 एनपीएस एक्ट	ए-14 दि0 30.01.2009	कन्धरापुर	आजमगढ़
2	115/20	379/411 भादवि	ए-140/20 दि0 03.12.20	कन्धरापुर	आजमगढ़
3	06/21	379/411 भादवि	ए-3/21 दिनांक 13.01.2021	कप्तानगंज	आजमगढ़
4	06/22	60 आबकारी अधि0	ए-9/22 दिनांक 28.01.2022	कन्धरापुर	आजमगढ़
5	186/22	**25(1-ए) / 3**	ए-188/22 दि0 27.09.22	कन्धरापुर	आजमगढ़
6	50/23	3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0	1.ए-69/23 दि0 27.04.2023 2.ए-69ए/23 दि0 24.05.2023	कन्धरापुर	आजमगढ़
7	337/23	60 आबकारी अधि0	ए-00/23 दि0 26.07.2023	कोतवाली	आजमगढ़
8	278/23	3(1)यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट	ए-75/24 दि0 14.04.24	कन्धरापुर	आजमगढ़
9	126/24	8/20 एनडीपीएस एक्ट	ए-151/24 दि0 12.07.24	कन्धरापुर	आजमगढ़
10	174/24	380/411/457 भादवि0	ए-197/24 दि0 17.09.24	कन्धरापुर	आजमगढ़
11	229/24	308ए/317(2)/331(4) बीएनएस	ए-196/24 दि0 17.09.24	कन्धरापुर	आजमगढ़
12	251/24	3/25 आयुध अधि0	ए-270/24 दि0 10.12.24	कन्धरापुर	आजमगढ़
13	94/25	3/5क/8 गो0नि0आधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0	ए-140/25 दिनांक 15.05.25	रौनापार	आजमगढ़
14	100/25	3/25 आयुध अधि0	ए-99/25 दिनांक 15.04.25	रौनापार	आजमगढ़
15	255/25	3/25 आयुध अधि0	ए-263/25 दि0 17.09.25	कन्धरापुर	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. **रामचेत निषाद** पुत्र स्व0 मोतीलाल निषाद निवासी ग्राम भोर्रा मकबूलपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. **उ0नि0 चन्द्रदेव यादव**, थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. **का0 अखिलेश पाण्डेय**, थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. **का0 नागेन्द्र यादव**, थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति,दिनांक – 08.03.2026
थाना – फूलपुर, जनपद आजमगढ़

कूटरचित दस्तावेज के आधार पर नाम व जन्मतिथि बदलकर दूसरा पासपोर्ट बनवाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण–

दिनांक **20.02.2026** को उ0नि0 **दयानन्द** द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि पासपोर्ट धारक **प्रमोद कुमार गौड़** पुत्र देवी चरन गौड़ निवासी ग्राम **सदरपुर बरौली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़** द्वारा अपने नाम एवं जन्मतिथि में हेरफेर करते हुए पासपोर्ट बनवाया गया है। जांच में पाया गया कि अभियुक्त द्वारा **प्रथम पासपोर्ट वर्ष 2007 से 2017** तक के लिए **प्रमोद कुमार गौर पुत्र देवीचरन गौर, जन्मतिथि 30.04.1978** के नाम से बनवाया गया था। उक्त पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने पर दिनांक **14.08.2017** को पासपोर्ट नं0 **R8236695** दिनांक **14.08.2017 से 13.08.2027** तक के लिए नवीनीकरण कराया गया। इसके पश्चात अभियुक्त द्वारा **अपना नाम व जन्मतिथि परिवर्तित कर दूसरा पासपोर्ट नं0 C6288024** बनवा लिया गया, जो कि कूट रचना एवं भ्रामक तथ्यों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने की श्रेणी में आता है। उक्त तथ्य प्रकाश में आने पर थाना फूलपुर पर **मु0अ0सं0 55/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 12(1)(बी) पासपोर्ट अधिनियम** बनाम **प्रमोद कुमार गौड़ पुत्र देवी चरन गौड़** निवासी ग्राम सदरपुर बरौली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना **उ0नि0 राजेन्द्र कुमार**, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक **08.03.2026** को उ0नि0 **राजेन्द्र कुमार** मय हमराही कर्मचारीगण के साथ क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान वांछित अभियुक्त **प्रमोद कुमार गौड़ पुत्र देवी चरन गौड़ निवासी ग्राम सदरपुर बरौली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 43 वर्ष** को उसके घर के बाहर ग्राम **सदरपुर बरौली** से समय लगभग **08:35 बजे** गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

सम्बन्धित मुकदमा–

01. मु0अ0सं0 **55/2026** धारा **319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 12(1)(बी) पासपोर्ट अधिनियम**, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 **55/2026** धारा **319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 12(1)(बी) पासपोर्ट अधिनियम**, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

01. प्रमोद कुमार गौड़ पुत्र देवी चरन गौड़, निवासी ग्राम **सदरपुर बरौली थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़** उम्र लगभग **43 वर्ष**

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. **उ0नि0 वासुदेव मिश्रा**, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
2. **का0 विशाल गौड़**, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति,दिनांक – 08.03.2026

थाना – फूलपुर, जनपद आजमगढ़

पूर्व विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण–

दिनांक **23.10.2025** को उ0नि0 **उमाशंकर यादव** मय हमराह **हे0का0 अवधेश यादव** व **का0 आलोक सिंह** के ग्राम **कजराकोल** पहुंचे, जहां जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि दिनांक 23.10.2025 को प्रातः लगभग **08:00 बजे** प्रथम पक्ष के व्यक्ति— 01. **हनुमान यादव** पुत्र रामचन्द्र यादव 02. **रवि यादव** पुत्र हनुमान यादव 03. **कवि यादव** पुत्र हनुमान यादव 04. **शिव यादव** पुत्र रमेश यादव 05. **पप्पू यादव** पुत्र रमेश यादव जब अपने खेत पर गोबर फेंकने गए थे, उसी समय द्वितीय पक्ष के— 01. **संतलाल गौड़** पुत्र समुझ 02. **राजन** पुत्र संतलाल 03. **सोनू** पुत्र संतलाल 04. **शशिकला** पत्नी संतलाल 05. **सरिता** पत्नी राजन गौड़ निवासीगण ग्राम **कजराकोल थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़** द्वारा पूर्व में हुए विवाद को लेकर एक राय होकर हाथों में **लाठी, डण्डा, लोहे की रॉड व फावड़ा** आदि लेकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से एक-दूसरे पर हमला कर दिया गया। दोनों पक्षों के बीच हुई इस मारपीट में कई लोगों को **गंभीर चोटें** आई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों द्वारा बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया गया, जिससे बड़ी घटना होने से बच गयी। उक्त घटना के आधार पर थाना फूलपुर पर **मु0अ0सं0 515/2025 धारा 191(2)/115(2)/109/351(3)/352 बीएनएस** बनाम **शिवकुमार यादव पुत्र स्व0 सुरेश यादव निवासी ग्राम कजराकोल थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 27 वर्ष आदि** के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना **उ0नि0 वासुदेव मिश्रा**, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक **08.03.2026** को उ0नि0 **वासुदेव मिश्रा** मय हमराही कर्मचारीगण क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान वांछित अभियुक्त **शिवकुमार यादव पुत्र स्व0 सुरेश यादव निवासी ग्राम कजराकोल थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 27 वर्ष** को **ग्राम कजराकोल के बाहर रामनयन यादव के पम्पिंग सेट के पास** से समय लगभग **11:25 बजे** गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

सम्बन्धित मुकदमा–

01. मु0अ0सं0 **515/2025** धारा **191(2)/115(2)/109/351(3)/352 बीएनएस**, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0 **515/2025** धारा **191(2)/115(2)/109/351(3)/352 बीएनएस**, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. शिवकुमार यादव पुत्र स्व0 सुरेश यादव, निवासी ग्राम **कजराकोल थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़**, उम्र लगभग **27 वर्ष**

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. **उ0नि0 वासुदेव मिश्रा**, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
2. **का0 विशाल गौड़**, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना – कोतवाली, जनपद आजमगढ़

दिनांक : 08.03.2026

न्यायालय के आदेश पर फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा व मुनादी की कार्यवाही

घटना का विवरण–

वादी ***सुदर्शन*** द्वारा थाना ***मुहम्मदाबाद जनपद मऊ*** पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि विपक्षीगण द्वारा उसके साथ ***मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी तथा संपत्ति को नुकसान*** पहुँचाया गया। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुहम्मदाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त मामले में नामजद अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित न होकर लगातार ***फरार*** चल रहे थे। इस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध ***धारा 82 सीआरपीसी*** के अंतर्गत उद्घोषणा (Proclamation) जारी की गयी। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ***मु0नं0 9694/2022 वादी सुदर्शन बनाम सत्य प्रकाश*** से संबंधित प्रकरण में फरार चल रहे अभियुक्तों—

1. ***केदारनाथ वर्मा*** पुत्र जगदीश प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम **कों*डर अजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़***
2. ***लौटूराम मौर्या*** पुत्र असमंजस मौर्या निवासी ग्राम ***कोंडर अजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़***

के विरुद्ध थाना कोतवाली पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार ***धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा एवं मुनादी*** की कार्यवाही की गयी।

आज दिनांक ***08.03.2026*** को पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों के निवास स्थान ***ग्राम कोंडर अजमतपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़*** पर पहुंचकर न्यायालय के आदेशानुसार ***धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा की गयी तथा गांव में मुनादी कराकर अभियुक्तों को नियत तिथि पर माननीय न्यायालय में उपस्थित होने की चेतावनी दी गयी।***

पुलिस द्वारा ग्रामीणों को भी अवगत कराया गया कि यदि अभियुक्त नियत समय में न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध ***धारा 83 सीआरपीसी के अंतर्गत संपत्ति कुर्की की कार्यवाही*** भी की जा सकती है।

नोटिस चस्पा एवं मुनादी कराने वाली पुलिस टीम–

1. ***उ0नि0 शशी सिंह (चौकी प्रभारी) बदरका,*** थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. ***उ0नि0 रविन्द्र प्रताप यादव,*** थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
3. ***हे0का0 धर्मेन्द्र चौधरी,*** थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़